2022/345

श्रीमान्‌जी

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांक – पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वरीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में बन्द वरीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी लाभ सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह जाति जट सिख, निवासी वार्ड न.16, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, मूल रसीद, वारिसान प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि मेरी माता अजमेर कौर पत्नी श्री सुरजीत सिंह निवासी वार्ड न. 16, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वरीयत 20.06.2018 को करवाई गई थी, उनका स्वर्गवास दिनांक 02.03. 2020 को हो चुका है, जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाहान ओमप्रकाश पुत्र श्री बनवारी लाल और जगमीत सिंह पुत्र श्री जसविन्द्र सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री प्रेमचंद सेवटा श्रीगंगानगर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय